भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3114
दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी के पास एनएच 53 का स्वामित्व

3114. श्री रुद्र नारायण पाणीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओडिशा के अंगुल जिले में गोदीबंधा चौक से एनटीपीसी चौक तक राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 53 के खंड का स्वामित्व एनटीपीसी लिमिटेड, तालचेर कनिहा तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (टीएसटीपीपी) के पास होने के कारण इसके विकास, उन्नयन या मरम्मत में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस राजमार्ग खंड का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को हस्तांतरित किया जा सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी लिमिटेड को ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान लागू किए जाने की आशा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि ओडिशा के अंगुल जिले में गोड़ीबंध चौक से एनटीपीसी चौक तक के राजमार्ग का स्वामित्व एनटीपीसी लिमिटेड के पास है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-53 का हिस्सा है। तथापि, एनटीपीसी तालचेर कनिहा ने दिनांक 26.05.2025 को एनएच डिवीजन, पालहरा, ओडिशा (ओडिशा सरकार) को एनटीपीसी के स्वामित्व वाली सड़क के हस्तांतरण और आगामी टीएसटीपीपी के स्टेज-III के लिए एनटीपीसी के स्वामित्व वाले हिस्से के साथ-साथ भूमि मुआवजा भुगतान के आधार पर 16 मीटर (चौड़ाई में) भूमि का स्वामित्व अपने पास रखने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान की है।

****